क्रम संख्या–112

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अध्यादेश)

देहरादून, बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 ई0

आश्विन 07, 1943 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 276/XXXVI (3)/2021/66(1)/2021

देहरादून, 29 सितम्बर, 2021

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड(1) के अधीन मा0 राज्यपाल ने **"उत्तराखण्ड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2021"** पर दिनांक 28 सितम्बर, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का **अध्यादेश संख्याः 03, वर्ष– 2021** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2021

(उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या 03, वर्ष 2021)

(भारत गणराज्य के बहत्तरवे वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए–

अध्यादेश

चूँकि, राज्य की विधान सभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, राज्यपाल "भारत का संविधान" का अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते है–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 130 का संशोधन 2 उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा 130 की उपधारा (6) कि प्रथम प्रस्तर को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(6) इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी जहाँ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण या लोक हित में किसी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत का गठन करने के लिए उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व निर्वाचन कराया जाना साध्य नही है, वहां राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी आदेश द्वारा प्रशासक नियुक्त कर सकेगा और ऐसा प्रशासक छः मास से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसा कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, पद धारण करेगा, किन्तु अति अपरिहार्य परिस्थितियों में इस अवधि को एक बार के लिए पुनः छः मास से अनधिक अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा और ग्राम पंचायत की दशा में प्रधान, क्षेत्र पंचायत की दशा में प्रमुख, जिला पंचायत की दशा में अध्यक्ष की समस्त शक्तियों, कृत्यों के साथ–साथ तीनों स्तर की पंचायतों की समितियों की शक्तियों एवं कृत्यों का निर्वहन करेगा:"

ले.ज. गुरमीत सिंह,
पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम,
वीएसएम (से.नि.)
राज्यपाल उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

हीरा सिंह बोनाल,
प्रमुख सचिव।

No. 276/XXXVI(3)/2021/66(1)/2021
Dated Dehradun, September 29, 2021

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand Panchayati Raj (Second Amendment) Ordinance, 2021' (Uttarakhand Ordinance No.03 of 2021)**

As assented to by the Governor on 28 September, 2021.

The Uttarakhand Panchayati Raj (Second Amendment) Ordinance, 2021

(Uttarakhand Ordinance No. 03 of 2021)

Promulgated by the Governor in the Seventy Second Year of the Republic of India

An

Ordinance

further to amend the Uttarakhand Panchayati Raj Act, 2016

WHEREAS, State Legislative Assembly is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW,THEREFORE, in excercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the 'Constitution of India', the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title and commencement	1	(1) This Ordinance may be called the Uttarakhand Panchayati Raj (Second Amendment) Ordinance, 2021 (2) It shall come into force at once.
Amendment of section 130	2	In section 130 of the Uttarakhand Panchayati Raj Act, 2016, first paragraph of sub section (6) shall be substituted as follows, namely-

"(6) Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, where due to inevitable circumstances, or in public interest, it is not feasible to conduct election for constitution of any Gram Panchayat, Kshettra Panchayat or Zila Panchayat before the expiration of its term, the State Government or any officer authorised by it in this behalf may by order appoint administrator and such administrator shall hold the post for such period not exceeding six months as specified in the said order but in very inevitable circumstances this period may be extended once again for the period not exceeding six months and shall discharge all powers and functions, of Pradhan in case of Gram Panchayat, Pramukh in case of Kshettra Panchayat, Chairman in case of Zila Panchayat with powers and functions of the committees of three level Panchayats."

LT. GEN. GURAMIT SINGH,
PVSM, UYSM, AVSM, VSM (Retd.),
GOVERNOR UTTARAKHAND.

By Order,

HEERA SINGH BONAL,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 32 विधायी / 409–2021–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।